


01-03-24 पत्रावली पेश। वकील वादी या
वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार
आवाज लगाते पर भी उपस्थित नहीं हुआ।
अतः वादी का वाद पत्र अदम पैरवी
अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक़े
लम्बी होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अमोल कुमार शर्मा)
Ro AOS

